

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 27671 / 22 / वि-12 / प्रशा. / 2017

भोपाल, दिनांक 27/12/2017


:: आदेश ::

इस प्राधिकरण द्वारा महाप्रबंधक के रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति/से.नि. उपरांत संविदा के माध्यम से जारी विज्ञप्ति क्र. 23094 दिनांक 30/10/2017 के अनुक्रम में पात्र आवेदकों के आयोजित साक्षात्कार दिनांक 18/12/2017 में, साक्षात्कार समिति द्वारा प्रदाय अंकों के आधार पर निम्नानुसार चयन सूची/प्रतीक्षा सूची जारी की जाती है :-

S.N.	Type (Deputation/ Contract)	Name of Applicant	Remarks
1	Contract	Shri Vinod Kumar Saraf	MeritList
2	Contract	Shri Arvind Tripathi	MeritList
3	Contract	Shri Iqbal Mohammd Siddiqui	MeritList
4	Contract	Shri Pramod Kumar Ghosh	MeritList
5	Deputation	Shri Ram Niwas Jat	MeritList
6	Contract	Shri Mahesh Pratap singh Parihar	MeritList
7	Deputation	Shri Ram Shankar Sharma	MeritList
8	Deputation	Shri Rajendra Kumar Sharma	MeritList
9	Deputation	Shri Shyam Sunder Pathak	MeritList
10	Contract	Shri Urmila Prasad Tiwari	MeritList
11	Deputation	Shri Hariprashad Jatav	MeritList
12	Deputation	Shri Atul Chaturvedi	Waiting List
13	Contract	Shri Ashok Kumar Aharwar	Waiting List

चयन सूची/प्रतीक्षा सूची की शर्तें :-

1. संबंधित विभाग से गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग तथा विजिलेंस क्लेरेंस इत्यादि की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग प्रावधान अनुसार होने एवं विभागीय जांच इत्यादि लंबित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. चयन/प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों में सेवानिवृत्त उपरांत संविदा के माध्यम से महाप्रबंधक पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के समय यदि वह सेवानिवृत्त नहीं हुये हैं तो वे अभ्यर्थी जो पहले सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें प्राधिकरण में आवश्यकतानुसार पदस्थ करने पर विचार किया जा सकता है।
3. चयन/प्रतीक्षा सूची जारी होने के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के विभागीय जांच/गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होने पर, अधिकतम 180 दिन तक में क्लेरेंस न होने पर चयन सूची/प्रतीक्षा सूची से नाम विलोपित किया जायेगा। इस अवधि में अधिकतम समय चयन सूची की वैधता तक आवेदन प्राप्त होने पर बढ़ाया जा सकेगा। ऐसे नाम को छोड़कर चयन सूची/प्रतीक्षा सूची में कनिष्ठों की आवश्यकतानुसार पदस्थापना की जा सकेगी।
4. चयन उपरांत नियुक्ति आदेश जारी होने पर 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा। सद्भाविक/उचित कारण की स्थिति में समय बढ़ाया जा सकेगा।


(उमाकांत पाण्डेय)

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल